

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०-06 ए/न०वि०/एस०बी०एम०/एस०डब्लू०एम०/यूजर चार्ज-02/2015.....<sup>1470</sup> राँची, दिनांक <sup>15/03/16</sup> :-

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-590 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-151 एवं 152 के प्रावधानों के तहत, नगरपालिका के आन्तरिक राजस्व में कर उगाही के प्रयोजनार्थ निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :-

- यह नियमावली 'झारखण्ड राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा शुल्क नियमावली, 2016' कहलायेगी।
- यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के पश्चात् की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. क्षेत्र :-

यह राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकायों में समान रूप से प्रभावी होगी।

3. परिभाषायें :-

- "अवायुवीय पाचन" (Anaerobic Digestion) से अभिप्रेत है, ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थ का माइक्रोबियल विभाजन/खंडन होता है।
- "प्राधिकार" से अभिप्रेत है, "सुविधा के प्रचालक" को बोर्ड या समिति के द्वारा दी गई सहमति।
- "जैव निम्नकरणीय पदार्थ" से अभिप्रेत है, वह पदार्थ, जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा विखण्डीकरण किया जा सकता है।
- "जैविक मिथेनीकरण" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रक्रिया, जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एन्जाइमेटिक विघटन करता है।
- "संग्रहण" से अभिप्रेत है, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाने और हटाया जाना।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- 43
- 3.6. "कचरा खाद बनाने" से अभिप्रेत है, एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैविक विखण्डीकरण होता है।
- 3.7. "ढहाने तथा निर्माण संबंधी अपशिष्ट" से अभिप्रेत है, सन्निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने संबंधी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री, कंक्रीट और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट।
- 3.8. "व्ययन" से अभिप्रेत है, भू-जल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अंतिम रूप से व्ययन।
- 3.9. "प्रारूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों का उपाबद्ध प्रारूप।
- 3.10. "अपशिष्टों के उत्पादक" से अभिप्रेत है, नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाला व्यक्ति या संस्था।
- 3.11. "भूमिवरण" से अभिप्रेत है, भू-जल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीवाणु, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में शेष ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान।
- 3.12. "Leachate" से अभिप्रेत है, वह द्रव्य जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलनशील अथवा निलंबित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।
- 3.13. "Lisimeter" से अभिप्रेत है, ऐसा यन्त्र जिसका उपयोग मृदा परत के माध्यम से वाष्पन - उत्सर्जन को मापा जाता है।
- 3.14. "नगर पालिका प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम/परिषद/पंचायत) जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।
- 3.15. "नगरीय ठोस अपशिष्ट" से अभिप्रेत है, औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर, किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय निरर्थक वस्तु।
- 3.16. "सुविधाओं के प्रचालक" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था, जो नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने - अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन के लिए नगर निकाय प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है।

1470  
15/03/16

15/03/16

15/03/16

- 3.17. "गुटिकाकरण" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी प्रक्रिया, जिससे गुटिकाएँ तैयार की जाती हैं, जो ठोस अपशिष्टों से तैयार की गई लघु क्यूब या बेलनाकार टुकड़ों में हों और इसके अन्तर्गत ईंधन गुटिकाएँ भी आती हैं, जिसे कचरे से प्राप्त ईंधन के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है ।
- 3.18. "प्रसंस्करण" से अभिप्रेत है, वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नए या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है ।
- 3.19. "पुनः चक्रण" से अभिप्रेत है, वह प्रक्रिया, जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को कचरा खाद में परिवर्तित करता है, जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ।
- 3.20. "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों के उपाबद्ध ।
- 3.21. "पृथक्करण" से अभिप्रेत है, नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों के वर्गों में अलग-अलग करना ।
- 3.22. "राज्य बोर्ड या समिति" से अभिप्रेत है, यथास्थित, किसी राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति ।
- 3.23. "भण्डारण" से अभिप्रेत है, नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थायी रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना, जिससे कूड़ा-करकट बिखरने, रोगवाहकों को आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके ।
- 3.24. "परिवहन" से अभिप्रेत है, विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना, ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखरने, रोगवाहकों की पहुँच को रोका जा सके ।
- 3.25. "अंतर्भौम जल" से अभिप्रेत है, वह जल, जो भू - सतह तथा भौम जल स्तर के मध्य अर्थात् असंतृप्त क्षेत्र में होता है ।
- 3.26. "कृमि कचरा खाद बनाना" से अभिप्रेत है, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए केंचुओं को उपयोग में लाने की प्रक्रिया ।
- 3.27. "एजेंसी" से अभिप्रेत है, वह संस्था, जो नगर निकायों द्वारा किसी कार्य को करने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा ।
- 3.28. "संवेदक" से अभिप्रेत है, वैसी संस्था अथवा व्यक्ति जो सरकार के लिए अनुबंध पर कार्य करता हो ।
- 3.29. "EWS" से अभिप्रेत है, वैसा मकान, जिसका कारपेट क्षेत्रफल अधिकतम 30 sq. m. हो ।

15/03/16

- 3.30. "LIG" से अभिप्रेत है, वैसा मकान, जिसका कारपेट क्षेत्रफल EWS से अधिक तथा 60sq. m. तक हो।
- 3.31. "MIG" से अभिप्रेत है, वैसा मकान जिसका कारपेट क्षेत्रफल LIG से अधिक तथा 80 sq.m. तक हो।
- 3.32. "HIG" से अभिप्रेत है, वैसा मकान, जिसका कारपेट क्षेत्रफल MIG से अधिक (>80 sq. m.) हो।
- 3.33. "शॉपिंग काम्प्लेक्स" से अभिप्रेत है, वैसा भवन, जिसमें कम से कम दस दुकान अवस्थित हो तथा उसका क्षेत्रफल 500sq. m. या उससे अधिक हो।
- 3.34. "विहित" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस नियमावली के अधीन बनाये गए उपबंधों द्वारा विहित प्रावधान।

#### 4.0. पृष्ठभूमि :

- 4.1. 13 वें वित्त आयोग के माध्यम से नगर निकायों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम सुविधाओं को आवश्यक किया गया, जिसमें शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी एक मुख्य अवयव है, जिसका वर्णन शहरी विकास मंत्रालय के Service Level Benchmark हस्तपुस्तक में भी किया गया है। आयोग ने यह भी माना है कि निधि तथा संसाधन के अभाव के कारण इन सुविधाओं में कमी आती रही है। अतः इन सुविधाओं में कमी नहीं आने देने हेतु निकायों द्वारा सुविधा शुल्क लगाया जा सकता है, जिसका वर्णन 74 वीं संविधान संशोधन के 12 वें अनुसूची में भी किया गया है।

#### 4.2. सेवा शुल्क में सुधार का औचित्य :

- सेवा शुल्क निकायों को संसाधन युक्त बनाये रखने के लिए तथा संधारणीय सुविधा प्रदान करने के लिए जरूरी है।
- यह निकायों को सुविधाओं में सुधार एवं उन्नत सुविधा प्रदान करने में मददगार होगा।
- यह समाज को लाभप्रद सुविधाओं के अनावश्यक इस्तेमाल से रोकेंगा तथा इसका दीर्घकालिक उपयोग हो सकेगा।
- इस तरह से निकाय अपने संसाधन का उपयोग समाज के गरीब एवं कमजोर लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने में सक्षम हो सकेगा।
- पूर्णतया लागत वसूली के द्वारा निकायों को संसाधन का प्रयोग अन्यत्र करने से तथा उसके क्षय होने से रोका जा सकेगा।

#### 4.3. सेवा शुल्क में सुधार से लाभ :

इस सुधार से निम्नलिखित लाभ हैं :

##### 4.3.1. नागरिकों को लाभ :

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- i. विवेक पूर्ण शुल्क तथा अनुकूलतम सुविधा से नागरिक अपने पैसे का सही लाभ उठा पाएंगे ।
- ii. इस तरह सभी नागरिकों के लिए उचित सेवा शुल्क देना संभव हो सकेगा ।
- iii. उचित सेवा शुल्क देने के उपरांत नागरिकों द्वारा उत्तम सुविधा की मांग करने का हक होगा एवं निकायों को जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा ।

#### 4.3.2. निकाय सुविधा प्रबंधक के रूप में :

- i. पूर्णतया कीमत वसूली से निकायों को संसाधन उपलब्ध करने में सुविधा होगी, जिससे वे उचित सुविधाएं प्रदान करने में तथा सुविधाओं को बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे ।
- ii. निकायों का अपने संसाधन द्वारा अन्य नागरिक सुविधायें देने में सक्षम हो सकेंगे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण इत्यादि ।
- iii. अंततः नागरिकों को उचित शुल्क पर संधारणीय सुविधाएँ मिलने लगेंगी ।
- iv. इस तरह से निकायों को समग्र प्रगति करने में सहायता मिलेगी एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित Service Level Benchmark हस्तपुस्तिका में वर्णित सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकेंगे ।

#### 4.3.3. राज्य तथा केंद्र सरकार :

- i. नगर निकायों के आर्थिक स्वावलंबी होने से सरकार के पास दूसरे अन्य प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध रहेगी ।
- ii. सरकार उन निकायों को भी उचित धन राशि उपलब्ध कराने में सक्षम होगी जो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं हो पाए हैं ।

#### 5.0. म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के घटक :

##### 5.1. नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण:—

- 5.1.1. समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थान से उपसर्जित नगरीय ठोस अपशिष्टों को उद्गम स्थल पर ही अलग – अलग जैव एवं अजैव अपशिष्ट को उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र में भंडारित करें। दिन में एक बार निर्धारित समय पर उनको घर – घर संग्रहण की उपलब्ध करवाई गई सेवा को मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा ताकि आम सड़कों, मार्गों पर निगम द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गन्दगी नहीं फैले। ऐसा करने वालों पर गन्दगी फैलाने के लिए मौके पर दंड शुल्क के साथ निष्पादन शुल्क (झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 259 के अनुसार) वसूल किया जा सकेगा।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

पुनरावृत्ति होनेपर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग (झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 604 के अनुसार) दायर किया जा सकेगा ।

5.1.2. नगरीय निकाय द्वारा समय-समय पर नागरिकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु नगर निकाय स्थानीय सेनिटेशन वेलफेयर एसोसियेशन, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, नगरीय निकाय से अनुबंधित सफाई के संविदाकारों तथा नागरिकगणों को समझाने एवं कचरा पृथक्करण कर भण्डारित करने व विधिवत परिवहन कराने के लिए प्रोत्साहित करने को अधिकृत होगा ।

## 5.2. म्युनिसिपल अपशिष्ट को एकत्रित करना :

किसी भी नागरिक को किसी तरह के अपशिष्ट को सड़क, सार्वजनिक स्थल, जल पिण्ड या खुले में डालने की मनाही रहेगी जिससे की शहर की सुन्दरता अथवा पर्यावरण दूषित न हो। अगर किसी भी नागरिक, व्यापारी, व्यवसायिक संस्थान, विपणन समूह, उद्योग इत्यादि को इस तरह का कार्य करते हुए पाए जाता है तो वे दंड के भागीदारी होंगे। नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत कर्मी/एजेंसी/संवेदक इत्यादि द्वारा "सूची-ख" में पहले से वर्णित शुल्क की दंड स्वरूप वसूली की जाएगी। इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए नगर निकायों को निम्नलिखित कार्यों को करना आवश्यक होगा :

- 1470  
15/03/16
- सभी नगर निगम/परिषद/पंचायत/अ०क्षे०स०/प्राधिकार में स्वच्छता कार्य हेतु कर्मी/एजेंसी/संवेदक की नियुक्ति की जाएगी जिनके द्वारा नियुक्त कर्मी घर - घर से निर्धारित समय पर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य करेंगे, उन्हें "स्वच्छता मित्र" के नाम से जाना जायेगा।
  - झुग्गी-झोपडी से अपशिष्ट संग्रहण के कार्य हेतु अलग से व्यवस्था करनी होगी।
  - स्वच्छता मित्र अपशिष्ट संग्रहण के समय एक उचित क्षमता वाली घंटी का प्रयोग कर अपने आने की सूचना नागरिकों को देंगे।
  - घर-घर जा कर अपशिष्ट के संग्रहण के कार्य को एक सुनिश्चित समय पर किया जायेगा तथा यह कार्य सप्ताह में कम से कम छः दिन किया जायेगा। खास प्रयोजन हेतु अपशिष्ट संग्रहण के लिए विशेष व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
  - व्यापारी, व्यवसायिक संस्थान, विपणन समूह, उद्योग इत्यादि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट संग्रहण का कार्य नगर निकाय द्वारा निर्धारित समय पर करना होगा।
  - सेवा शुल्क नगर निकायों या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति/एजेंसी/संवेदक ही "सूची - क" में निर्धारित दर से वसूल कर सकेंगे।
  - सेवा शुल्क निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जायेगा :-
    - शहर की श्रेणी
    - शहर के नागरिकों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट के परिमाण
    - नागरिक या समूह द्वारा भूमि का प्रयोग के समानुपात में।

- h. सेवा शुल्क के दर की सूचना हेतु संग्रहण में लगे सभी वाहनों तथा अन्य सामाजिक स्थान पर लिखा होना चाहिए ताकि इसकी सूचना भुगतानकर्ता को मिल सके।
- i. हाथ द्वारा अपशिष्ट के कार्य से बचना चाहिए परन्तु मजबूरी वश अगर करना पड़े तो कड़ी निगरानी में कराया जाना चाहिए।
- j. नगर निकायों द्वारा जगह-जगह पर ढक्कन युक्त कूड़ादान लगाना चाहिए ताकि नागरिकों या आने-जाने वालों को गन्दगी खुले में फेंकने से रोका जा सके तथा शहर को साफ-सुथरा रखा जा सके। इसके बावजूद अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपशिष्ट खुले में फेंका जाता है तो वैसे व्यक्ति को नियमानुसार दण्डित किया जाना चाहिए।
- k. निकाय द्वारा समुचित कूड़ादान की व्यवस्था नहीं किये जाने तक शहर को साफ-सुथरा रखने हेतु किसी उचित भूमि की व्यवस्था किया जाना चाहिए।

### 5.3. नगरीय ठोस अपशिष्टों का भण्डारण :-

- a. राज्य के सभी नगरीय निकाय अपने स्तर पर अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रीय संवेदक के माध्यम से ठोस अपशिष्टों के भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा, जिससे कि इसके आस-पास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियाँ पैदा न हों।

1470  
15/3/16b.

- b. निर्दिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी, परन्तु दो भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम दूरी 500 मीटर की होगी और 1 किलोमीटर की परिधि में अधिकतम 5 से ज्यादा भण्डारण की सुविधा नहीं होगी। भण्डारण सुविधा ढक्कन युक्त कन्टेनर के रूप में ऐसे स्थान पर होगी, जहाँ उपयोगकर्ता पहुँच सकें।
- c. नगर निकाय द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजाईन ऐसा होगा, जिससे कि इकट्ठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो एवं सौन्दर्यपरक रूप से उपयोगकर्ता को स्वीकार्य हो तथा उसे कूड़ादान के भीतर ही अपना कचरा खाली करने के लिए प्रेरित करे।
- d. नगर निकायों द्वारा निर्धारित कूड़ादान स्थलों पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार रंग के अलग - अलग कन्टेनर भी रखवाये जा सकते हैं :-
- हरा - जैव निम्नीकरण अपशिष्टों हेतु।
  - सफेद - पुनः चक्रण योग्य अपशिष्टों हेतु।
  - काला/पीला/नीला - अन्य साधारण अपशिष्टों हेतु।
- e. इन कन्टेनरों से कूड़े/अपशिष्टों के हथालन, निकाले जाने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन/डिजाईन के केरीयर वाहन, काम्पेक्टर इत्यादि उपयोग में लिये जायेंगे।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- f. शहर में स्थित सभी कोऑपरेटिव सोसाईटिज, एसोसिएशन, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक साइज के, उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनर्स, जिसकी डिजाईन नगरीय निकाय से अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित करें ताकि वहाँ उत्सर्जित दैनिक कचरे का भली-भाँति भण्डारण हो सके, जिन्हें नगरीय निकाय के वाहनों से समयबद्ध खाली करवाने हेतु वे नगरीय निकाय को देय सेवा शुल्क पर अनुबंध कर, वाहनों की व्यवस्था करवा सकेंगे।
- g. समस्त नागरिकों का दायित्व होगा कि वे परिसर में उत्पन्न पुनः चक्रित अपशिष्टों को क्षेत्र में कार्यशील कचरा बीनने वाले (रेगपीकर्स), नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत व्यक्ति या कबाड़ी वाले को विक्रय कर दे एवं किसी भी स्थिति में आम सड़क पर अथवा निगम के कूड़ेदान में नहीं डालें।
- h. नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य, राज्य का प्रत्येक नगर निकाय, स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के आधार पर स्वयं या किसी संस्था के द्वारा करायेगा। इस व्यवस्था को सभी संस्थानों को, नगरीय निकायों द्वारा अनुमोदित सेवा शुल्क देकर अपनाना होगा अन्यथा ऐसे ठोस अपशिष्ट फैलाने वालों से दंड शुल्क के साथ निष्पादन शुल्क मौके पर तत्काल-वसूल किया जा सकेगा अथवा अभियोग दायर किया जा सकेगा।
- i. बूचड़खानों, मांस-मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट, जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है, का प्रबंध इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाया जा सके और इनसे कोई संक्रामक बीमारियाँ नहीं फैले। इसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपना प्रबंधन कर इनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना होगा अथवा नगरीय निकायों द्वारा घर-घर से ऐसे अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु लागू योजना को अपनाकर इसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर दंड शुल्क के साथ निष्पादन शुल्क मौके पर वसूल किये जा सकेंगे अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।
- j. जैव चिकित्सीय अपशिष्टों तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जायेगा और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जायेगा। जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के नियमानुसार निस्तारण हेतु विभिन्न निकायों में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट सुविधा लागू की जायेगी। उपलब्ध करवाई गई कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेन्ट सुविधा संयंत्र से देय निर्धारित शुल्क पर ऐसे हानिकारक अपशिष्टों का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर निर्धारित दंड शुल्क वसूला जायेगा।
- k. आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को ट्राई साईकिल रिक्शे अथवा आटो टिपर गाड़ियों से निर्धारित सामुदायिक कूड़ाघर/ढके हुए कन्टेनरों तक ले जाया जायेगा।

1470  
15/03/16

15/03/16

15/03/16



- l. सामुदायिक कूड़ाघर/ढके हुए कन्टेनरों से प्रसंस्करण प्लांट तक कूड़े का स्थानांतरण बड़ी गाड़ियों जैसे डम्पर, प्लेसर, कम्पेक्टर, ट्रैक्टर इत्यादि के द्वारा किया जायेगा ।
- m. बागवानी और निर्माण/ढहाए गये कार्यों से उद्भूत अपशिष्टों/मलबे को अलग-अलग संग्रहित किया जायेगा एवं समुचित मानकों के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा । नगरीय निकाय द्वारा इस हेतु सप्ताह में एक दिवस निर्धारित कर अपेक्षा की जायेगी कि बागवानी से अपशिष्टों को नगरीय निकाय के निर्धारित नजदीक के कूड़ाघर पर मध्याह्न तक आवश्यक रूप से डलवा दिया जाए, ताकि उनका समय पर परिवहन संभव हो सके । निजी निर्माण/ढहाये गये मकानों के शेष अपशिष्ट, अपने स्वयं के प्रबंधन पर अथवा नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत संविदाकार को देय निर्धारित शुल्क पर परिवहन करवाकर निर्धारित चिन्हित गंतव्य व्ययन स्थल तक पहुँचाना होगा । खुले स्थलों, मार्गों, सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से अपना ऐसा निजी मलबा डालना/रखना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय होगा ।
- n. अपशिष्ट (कूड़ा करकट, सूखी पत्तियों) को जलाया नहीं जायेगा । ऐसा करना दण्डनीय होगा ।
- o. आवारा पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर में किसी अन्य स्थान के आसपास मुक्त रूप से घूमने नहीं दिया जायेगा तथा उनका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबंध करना होगा ।
- p. कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी, कीचड़ पानी, गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में इस प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक मार्गों/ स्थलों पर बहने देगा, जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो एवं जन स्वास्थ्य को हानि की संभावना रहे तथा आवागमन बाधित हो, अन्यथा उसके विरुद्ध तत्काल दंड शुल्क के साथ निष्पादन शुल्क वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन भी किया जा सकेगा ।
- q. कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक स्थलों, इत्यादि में एकत्रित कर किसी प्रकार का प्रदूषण अथवा गन्दगी फैलाते हुए पाया जाता है, तो यह दंडनीय अपराध होगा और उससे दंड शुल्क के साथ निष्पादन शुल्क भी वसूला जायेगा ।

1470  
15/03/16

#### 5.4. नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण :-

नगरीय निकाय क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा करकट फैलाना वर्जित होगा । यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, मार्गों, निजी खुले स्थलों, पार्कों, पानी के स्त्रोतों इत्यादि पर

hsmr

गंदगी कूड़ा करकट फैलाते एवं रखते पाया गया, तो नगरीय निकाय के द्वारा प्राधिकृत कर्मी/एजेंसी/संवेदक, संलग्न "अनुसूची- ख" में घोषित/समय-समय पर नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित, दंड शुल्क के साथ निष्पादन शुल्क, ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने में सक्षम होगा । नगरीय निकाय द्वारा इस हेतु :-

- i. नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम-2000 के पालन में घर-घर से कचरा एकत्रित करने वाले कार्यकर्ता को "स्वच्छता मित्र" के नाम से जाना जायेगा एवं इस योजना को नगर निगम/परिषद/पंचायत/अ०क्ष०स०/प्राधिकार के सभी क्षेत्रों/एरिया/ वार्डों में सामान्य रूप से लागू किया जायेगा ।
- ii. "स्वच्छता मित्र आपके द्वार" निगम द्वारा नियुक्त कर्मी या उनके द्वारा नियुक्त संवेदक/ एजेंसी के कर्मी होंगे ।
- iii. घर-घर से कचरा संग्रहण का कार्य, स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व निर्धारित समय पर किया जायेगा तथा विशेष सफाई की व्यवस्था भी की जायेगी । प्रत्येक कचरा संग्रहण कार्यकर्ता की ट्राई साईकिल पर घंटी/भोंपू (जिसकी आवाज अनुज्ञेय मानदण्ड से अधिक न हो) भी लगाया जायेगा ताकि कचरा संग्रहण के समय इसे बजाकर निवासियों को सूचित किया जा सके ।
- iv. व्यवसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों से कचरा संग्रहण हेतु समय का निर्धारण अलग से किया जायेगा ।
- v. घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु निर्धारित शुल्क अनुसूची के अनुसार प्रत्येक घर, संस्था इत्यादि से वार्ड/क्षेत्र की अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जायेगा । उक्त दरों का संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार-प्रसार किया जायेगा एवं दरों को रिक्शा ट्राली/आटो ट्रिपर इत्यादि पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अधिकृत संस्था/व्यक्ति को रिक्शा ट्राली/आटो ट्रिपर पर संस्था/व्यक्ति का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना होगा ।
- vi. संस्था/व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित नगर निगम/परिषद/पंचायत/के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना होगा ।
- vii. होटल/रेस्टोरेंट/कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित झुग्गी झोपड़ी तथा इधर- उधर फैले क्षेत्रों/बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करने हेतु व्यवस्था की जायेगी । इन संस्थानों से उत्सर्जित जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के उद्गम स्थल से

1470  
15/03/16

15/03/16

15/03/16

बन्द वाहनों में एकत्रित कर, बन्द वाहनों से परिवहन कर नियमानुसार इनके अन्तिम निस्तारण स्थल पर ले जाया जायेगा ।

- viii. इन कूड़ादान के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई-धराई किये जाने पर प्रतिबन्ध करना। यदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखते हुए पूर्ण सावधानी के साथ उपर्युक्त कार्य किया जा सकेगा ।
- ix. किसी भी व्यक्ति द्वारा जनसुविधा के लिए नगर निगम/परिषद/पंचायत द्वारा सड़कों/मार्गों/पार्को इत्यादि पर अपशिष्टों का भण्डारण हेतु उपलब्ध करवाये गये कूड़ादान के भीतर कचरा न डालकर जानबूझकर कचरा बाहर फैलाना निषेध होगा एवं ऐसा कार्य करते हुए पाये जाने वाले से मौके पर दंड शुल्क के साथ निष्पादन शुल्क वसूल किया जा सकेगा ।
- x. नगरीय निकाय कन्टेनर्स रहित व्यवस्था भी कर सकेगी लेकिन ऐसे संस्थानों पर कचरा उठाने की आवृत्ति अधिक सुनिश्चित करनी होगी ताकि कचरा सड़को पर पड़ा नहीं रहे ।
- xi. नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित दण्ड शुल्क की वसूली करने के क्रम में दोषी व्यक्ति को रसीद के साथ चेतावनी दी जायगी। इस क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत उपलब्ध तकनीकों का उपयोग किया जाना अपेक्षित होगा ।

1470  
15/03/16

#### 5.5. नगरीय ठोस अपशिष्टों का परिवहन :-

अपशिष्टों का परिवहन करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन ऊपर से भली-भाँति ढके हुए होंगे, ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गों पर बिखर सकें तथा इसके लिए निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जायेगा :-

- स्थापित भण्डारक सुविधाओं से प्रतिदिन कूड़ा-कचरा साफ किया जायेगा । कूड़ादान के साथ-साथ आसपास का क्षेत्र भी साफ सुथरा रखा जायेगा ।
- परिवहन वाहनों का डिजाईन ऐसा होगा, जिससे कि अपशिष्ट की अन्तिम व्ययन करने के पूर्व बार-बार की जाने वाली उठाई-धराई से बचा जा सके ।
- अपशिष्ट के संग्रहण हेतु पूर्व में मार्ग का निर्धारण करना भी जरूरी होगा ।
- अपशिष्ट के ढुलाई हेतु वाहनों की संख्या, अपशिष्ट के परिमाण एवं वाहनों के प्रकार पर निर्भर करेगा, जैसा कि विभाग द्वारा विहित किया जाए ।

*[Handwritten signature]*

## 5.6. नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण :-

नगरीय निकाय द्वारा नगर निगम/परिषद/पंचायत में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से स्वीकृति प्राप्त कर विधिवत आवंटित अथवा प्राप्त स्थलों पर स्वीकृति, समुचित तकनीकी अथवा ऐसी विविध तकनीकों को अपनाते हुए, जिससे कि भूमि भरण पर भार कम किया जा सके तथा कुल संग्रहित अपशिष्ट का केवल 20-25% ही भूमि भरण के लिए की जाय। इस के लिए निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जा सकेगा :-

- i. जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिए कम्पोस्टिंग/वार्मिकम्पोस्टिंग/अवायुवीय पाचन अथवा अन्य किसी उपयुक्त जैविक संसाधन अपनाकर प्रसंस्कृत किया जा सकेगा, जिससे नगरीय निकाय स्वयं अपने स्तर से अथवा किसी भी संस्था को लाईसेंस प्रदान कर बी०ओ०टी०/डी०बी०ओ०टी० पद्धति से कार्य करवा सकेगा।
- ii. पुनः प्राप्त संसाधनों वाले मिश्रित अपशिष्ट के लिए रिसायकलिंग प्रक्रिया अपनाते हुए विशिष्ट मामलों में अपशिष्ट प्रक्रिया के लिए इनसीनरेशन (Incineration) के साथ अथवा उसके बिना उर्जा प्राप्त करने हेतु पेलेटाईजेशन (Palletisation) के प्लांट अथवा और कोई नवीनतम पद्धति है, तो स्वयं या कोई सुविधा प्रचालक बी०ओ०टी०/डी०बी०ओ०टी० पद्धति पर स्थापित करने, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से तकनीकी अनुमोदन करवाकर, किसी संस्था को अधिकृत लाईसेंस जारी कर सकेगा।

1470  
15/03/16

## 5.7. नगरीय ठोस अपशिष्टों का व्ययन :-

भूमि भरण में जैव अनिम्नकरणीय निष्क्रिय अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को, जो न तो पुनः चक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिए समुचित है, निर्बाधित रखा जायेगा। भूमि भरण अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसंस्करण पूर्व छोड़े गये अपशिष्ट से भी बचा जायेगा, जब तक उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिये उपयुक्त न पाया जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा वैकल्पिक सुविधायें स्थापित किये जाने तक नगर निगम/परिषद/पंचायत अपने लैण्डफील साईट पर निर्धारित मानदण्डों को अपनाते हुए भूमि-भरण कर सकेगा।

## 6. नगरीय निकायों का दायित्व:-

- i- नगरीय प्रशासन द्वारा नगर निगम/परिषद/पंचायत द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्र में स्थित सभी सार्वजनिक मार्गों, स्थलों, कच्ची बस्तियों, झुग्गी झोपड़ी, क्षेत्रों, बाजारों, पर्यटक स्थलों के आसपास नगरीय निकाय के स्वयं के उद्यानों, श्मशान इत्यादि में प्रतिदिन एवं सम्पूर्ण वर्ष भर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं यहाँ से एकत्रित किया गया कचरा,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

कूड़ा, नजदीक के घोषित कूड़ादान में एकत्रित करवाया जाएगा, जहाँ से प्रतिदिन उसका परिवहन अंतिम निस्तारण स्थल तक बन्द वाहनों में करवाने के लिए प्रतिबद्ध होगी, जिसके लिए नगरीय निकाय अपने स्वयं के स्थाई अथवा संविदा सफाई कर्मचारियों एवं वाहनों के लिए अन्य सफाई कर्मचारी रहित कालोनियों/अन्य क्षेत्रों में निजी संविदाकार से सम्पूर्ण अथवा आंशिक दैनिक सफाई कार्य करवाने के लिए अधिकृत होगा, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा जन स्वास्थ्य के हित में स्वच्छता व सुन्दरता सुनिश्चित करने में समर्थ हो सके ।

- ii- शहर की दैनिक सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था के प्रबंधन हेतु नगरीय निकाय अपने समस्त क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड कार्यालय (शिकायत केन्द्र), आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर कूड़ादान, सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय, सामुदायिक कूड़ादान, ट्रांसफर स्टेशन एवं शहर के कूड़े के अंतिम निष्कासन हेतु कचरागाह/लैंडफील प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि स्थापित करने को स्वतंत्र होगा ।
- iii- नगरीय निकाय के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निर्धारित प्रावधानों के तहत करवाने को स्वतंत्र होगा, जिसे संबंधित अपशिष्ट निर्माता द्वारा अपनाया जायेगा ।
- iv. घर – घर से अपशिष्ट संग्रहण कार्य के लिए सेवा शुल्क निर्धारण करना एवं समय समय पर इसमें परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

1470  
15/03/16

**7. अभियोजन/जुर्माना : -**

नगरीय निकाय के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए सेवा शुल्क नियमावली, 2016 के उपर्युक्त किसी भी उपविधि की पालन नहीं करने अथवा उसका उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत अभियोजन किया जा सकेगा तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अधीन निर्मित नियमों के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सिफारिश कर सकेगा। साथ ही, नियम उपनियम समिति ऐसे कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध सुसंगत नियमों के तहत अनुशासनात्मक कारवाई करने के लिए अपनी अनुशंसा भी सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा, जिन्होंने सेवा शुल्क वसूल करने में कोई अनियमिता अथवा लापरवाही बरती हो ।


**8. निरसन और व्यावृत्तिया : -**

- i. इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् झारखण्ड राज्य के अन्य सभी इसी प्रकार की एवं इस विषय से संबंधित किसी भी नाम से प्रवृत्त उपविधियाँ इसके द्वारा निरस्त की जाती है ।
- ii. इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व में निश्चित उपविधियों के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों से प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जायेगा, बशर्ते की ऐसा कार्य इन उपविधियों के विपरीत न हो ।

*[Handwritten signatures]*

- iii. ऐसा निरसन इस प्रकार निश्चित उपविधियों के अधीन की गई किसी भी बात या किसी भी कारवाई या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या किये गये किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


  
15.3.16  
(अरुण कुमार सिंह)


-1470 - सरकार के प्रधान सचिव। 15/03/16

अधिसूचना सं०- 06ए/न०वि०/एस०बी०एम०/एस०डब्लू०एम०/यूजर चार्ज-02/2015 राँची, दिनांक :- .....  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1470 सरकार के प्रधान सचिव। 15/03/16

अधिसूचना सं०- 06ए/न०वि०/एस०बी०एम०/एस०डब्लू०एम०/यूजर चार्ज-02/2015 राँची, दिनांक :- .....  
प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष/सभी नगर निकाय/प्राधिकार, झारखण्ड/महाप्रबंधक, जुडको/सभी पदाधिकारी, नगर विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
15.3.16  
सरकार के प्रधान सचिव।



३०

**'अनुसूची-क'**

**घर - घर से प्रत्येक दिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए निर्धारित सेवा शुल्क (रुपया में)**

| क्र०सं० | उपभोक्ता की श्रेणी                                      | सेवा शुल्क प्रतिमाह |           |            |
|---------|---|---------------------|-----------|------------|
|         |   | नगर नियम            | नगर परिषद | नगर पंचायत |
| 1.      | आवासीय भवन *  |                     |           |            |
|         | EWS   | 20                  | 15        | 10         |
|         | LIG   | 30                  | 25        | 15         |
|         | MIG   | 50                  | 30        | 20         |
|         | HIG   | 80                  | 50        | 30         |
| 2.      | ढाबा के लिए   | 350                 | 250       | 150        |
| 3.      | होटल/गेस्ट हॉउस   |                     |           |            |
|         | 10 रुम तक   | 1000                | 700       | 350        |
|         | 11-20 रुम तक  | 1500                | 1000      | 500        |
|         | 21-30 रुम तक  | 2000                | 1200      | 700        |
|         | 30-50 रुम तक  | 5000                | 2500      | 1300       |
|         | 50 से ऊपर रुम   | 10000               | 5000      | 3000       |
|         | 5 Star एवं उससे ऊपर                                     | 15000               | 7500      | 5000       |
| 4.      | धर्मशाला  | 800                 | 500       | 200        |
| 5.      | रेस्तरा के लिए#   | 1500                | 1000      | 500        |
| 6.      | बेकरी फुड कोर्ट एवं बेकरी के आउटलेट्स                   | 1000                | 500       | 150        |
| 7.      | स्वीट शॉप   | 1000                | 250       | 100        |
| 8.      | फास्टफूड  | 500                 | 250       | 100        |
| 9.      | ठेला/खोमचा इत्यादि                                      | 200                 | 100       | 50         |
| 10.     | पान तथा चाय दुकान                                       | 100                 | 50        | 25         |
| 11.     | शॉपिंग काम्प्लेक्स AC                                   | 10000               | 4000      | 2000       |
|         | शॉपिंग काम्प्लेक्स Non-AC                               | 5000                | 2000      | 1000       |
| 12.     | कारखाना, कार्यशाला एवं उद्योग                           |                     |           |            |
|         | घरेलु एवं लघु   | 500                 | 200       | 100        |
|         | मध्यम   | 2000                | 1000      | 500        |
|         | बड़े  | 5000                | 2500      | 1500       |
| 13.     | सिनेमा हाल #  | 5000                | 2000      | 1000       |
| 14.     | दुकान   |                     |           |            |
|         | होलसेल दुकान  | 1500                | 750       | 500        |
|         | मुख्य बाजार का दुकान                                    | 1000                | 500       | 250        |
|         | मोहल्ला का दुकान  | 250                 | 150       | 100        |
|         | अन्य दुकान  | 150                 | 100       | 50         |
| 15.     | गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक अपशिष्टों के लिए) | 1500                | 750       | 350        |
| 16.     | सब्जी एवं फल दुकान                                      | 200                 | 100       | 50         |

1470  
15/02/16

15/02/16

|     |  |       |       |      |
|-----|--|-------|-------|------|
| 17. | कार्यालय के लिए                        |       |       |      |
|     | 2 रूम तक ; 10 m2                       | 100   | 75    | 50   |
|     | 3-5 रूम तक ; 25 m2                     | 250   | 125   | 75   |
|     | 6-10 रूम तक ; 50 m2                    | 1000  | 500   | 250  |
|     | 11-20 रूम तक ; 100 m2                  | 1500  | 750   | 400  |
|     | 20 से ऊपर रूम के लिए 100 m2;           | 2500  | 1500  | 1000 |
| 18. | अस्पताल, डिस्पेंसरी, लेबरेटरीज इत्यादि |       |       |      |
|     | बिना बेड का                            | 400   | 200   | 100  |
|     | 20 बेड तक                              | 5000  | 3000  | 1000 |
|     | 20-50                                  | 10000 | 5000  | 2000 |
|     | 50 से ऊपर                              | 20000 | 10000 | 5000 |
| 19. | स्कूल, कोचिंग तथा शैक्षणिक संस्थान     |       |       |      |
|     | सरकारी                                 | 200   | 150   | 100  |
|     | गैर सरकारी                             | 1000  | 500   | 250  |
|     | आवासीय 50 रूम तक                       | 2000  | 1000  | 500  |
|     | आवासीय 50 रूम से अधिक                  | 5000  | 2500  | 1250 |
| 20. | शादी विवाह स्थल/उत्सव घर               |       |       |      |
|     | 3000 वर्ग मीटर तक                      | 2500  | 1500  | 1000 |
|     | 3000 वर्ग मीटर से अधिक                 | 5000  | 3000  | 1500 |
| 21  | अन्य जो ऊपर वर्णित नहीं है             |       |       |      |
|     | नगर निकाय के आकलन के अनुसार            |       |       |      |

नोट: प्रत्येक तीन वर्ष में उपर्युक्त सेवा शुल्क में 10% वृद्धि होगी।

\* अपार्टमेंट के मामले में कुल फ्लैटों की संख्या एवं प्रकार के गुणक के आधार पर एकमुश्त वसूली प्रासंगिक सोसाइटी (Resident Welfare Association) से की जा सकेगी।

# चाहे अलग भवन हो अथवा किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अवस्थित हो।

*Signature*

*Signature*



"अनुसूची-ख"

उपविधियों के उल्लंघन में किए गए कृत्यों के लिए निर्धारित दंड शुल्क (रूपये में)

| क्र० सं० | कृत्य   | प्रत्येक बार किये गए कृत्य के लिए |           |            |
|----------|---|-----------------------------------|-----------|------------|
|          |   | नगर निगम                          | नगर परिषद | नगर पंचायत |
| 1.       | आवासीय भवनों के लिए   | 100                               | 75        | 50         |
| 2.       | दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर   | 1000                              | 500       | 250        |
| 3.       | रेस्तरां मालिकों को खुला में कचरा डालने पर  | 2000                              | 1000      | 500        |
| 4.       | होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर   | 2000                              | 1000      | 500        |
| 5.       | औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर  | 5000                              | 2500      | 1500       |
| 6.       | हलवाई, चाट, फास्ट फूड, आईस्क्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फ्रुट आदि ठेला व्यवसायियों पर   | 100                               | 75        | 50         |
| 7.       | सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने वालों पर  | 100                               | 50        | 25         |
| 8.       | गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर  | 1000                              | 500       | 250        |
| 9.       | निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर  | 1000                              | 500       | 250        |
| 10.      | निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर   | 1000                              | 500       | 250        |
| 11.      | सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहर चारदीवारी की दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें, ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने एवं बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर) | 2000                              | 1500      | 1000       |
| 12.      | बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर  | 5000                              | 2500      | 1500       |
| 13.      | अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर   | 5000                              | 2500      | 1500       |
| 14.      | अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर  | 5000                              | 2500      | 1500       |
| 15.      | क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर   | 2000                              | 1000      | 500        |
| 16.      | दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर एवं साईकिल रिपेयरिंग कर आयल मिट्टी एवं पानी फैलाकर गन्दगी करने पर  | 1000                              | 500       | 250        |

1470  
15/03/16

Handwritten signature

Handwritten signature

|     |  |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|
| 17. | मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गए जानवरों की हड्डियाँ, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क/आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर | 2000 | 1500 | 1000 |
| 18. | खाली, सरकारी जमीन पर आम रास्ता, सड़क एवं मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा, घोड़े, सुअर, इत्यादि पालतु जानवरों से गन्दगी फैलाने पर                   | 500  | 250  | 100  |
| 19. | शादी/विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर  | 5000 | 2500 | 1000 |
| 20. | आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर   | 2000 | 1000 | 500  |
| 21. | सार्वजनिक स्थान, जमीन एवं सड़क के किनारे बैठकर सब्जियाँ बेचकर छिलके एवं अंश सड़क पर डालने एवं गन्दगी फैलाने पर   | 100  | 75   | 50   |
| 22. | हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता एवं सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर   | 100  | 75   | 50   |
| 23. | दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर                           | 5000 | 2500 | 1000 |
| 24. | आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर  | 5000 | 2000 | 1000 |
| 25. | प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना इत्यादि आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर   | 2000 | 1500 | 1000 |

\* उपर्युक्त दंड शुल्क, निष्पादन एवं परिवहन शुल्क के अतिरिक्त होगा।

\*\* उपविधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजन भी चलाया जा सकेगा।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*